

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर**

**पीठासीन अधिकारी-जगदीश आर्य**

अपील संख्या 15/2024

राममुकुट पुत्र बाबू मीना निवासी नरवला तह.खण्डार।

तारीख रजु 13.03.2024

— अपीलार्थी

**बनाम**

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार।

— रेस्पोजेन्ट

उपस्थित —

श्री राधेश्याम वैष्णव. एडवोकेट — अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व — रेस्पोजेन्ट

**निर्णय**

दिनांक 31.05.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 105/2024 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम नरवला के आराजी खसरा नम्बर 411/204 रकबा 3.00 बीघा किस्म ब.का.च. पर संवत् 2080 फसल रबी में सरसो काश्त कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोजेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया कि तहत न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 411/204 रकबा 3.00 बीघा पर स्थित ग्राम नरवला तहसील खण्डार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह का सिविल कारावास एवं पेलेन्टी तथा बेदखली से दण्डित किया है। उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.02.2024 रूहे दाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों से परे होने से निरस्तनीय है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर पारित किया गया है। अपीलान्त को हल्का पटवारी से जिरह का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपीलान्त को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, लिहाजा अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई रिकार्ड नहीं है। ना ही पूर्व में पारित बेदखली है, तथा पूर्व में पारित भौतिक बेदखली के वक्त उपस्थित गवाहों के बयान रिकार्ड पर नहीं लिये हैं। इस कारण भी अपीलान्त को तहत न्यायालय ने गलत रूप से अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है जबकि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित कई निर्णय में स्पष्ट व्यवस्था दी है कि पूर्व में पारित भौतिक बेदखली के वक्त उपस्थित गवाहों के बयान रिकार्ड पर लेने चाहिए तत्पश्चात ही पक्षकार को पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में माना जावेगा इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानूनी होने से निरस्तनीय है। यह कि हल्का पटवारी द्वारा रंजिशवश उक्त मौके की रिपोर्ट दी गयी है तथा सम्पूर्ण

**अति. जिला कलेक्टर**  
**सवाई माधोपुर**


कार्यवाही तहसीलदार कार्यालय में बैठ कर एक ही दिन में सम्पादित की गई है मौके कब्जे की कोई जांच नहीं की गयी है, वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि चरपेटवा स्थित है तथा अपने बुजुर्गों के समय से ही उक्त अपीलान्ट की खातेदारी की डोलमेट शुदा आराजी पर ही अपीलान्ट काबिज काश्त है जिसकी जांच किया जाना न्यायोचित है, इन बातों पर गौर किये बिना उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय विधि विरुद्ध तरीके से पारित किया है जो निरस्तनीय है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट को तामील होने पर अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 06.02.2024 को उपस्थित हुआ। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो। इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना अवगत कराया है एवं अतिक्रमण नहीं होने तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया है। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना अवगत कराया है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक 06.02.2024 में अपीलान्ट के खसरा नम्बर 411/204 रकबा 3.00 बीघा किस्म ब.का.च. में फसल रबी में सरसो की फसल कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करना तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना पाया जाता है किन्तु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलार्थी का उक्त आराजी खसरा नम्बर 411/204 रकबा 3.00 बीघा किस्म ब.का.च. पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 में बेदखली, शास्ति एवं फसल नीलामी का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(जगदीश आर्य)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर